<u>उद्यान विभाग, हरियाणा</u>
<u>एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केन्द्र,</u>
<u>रामनगर (कुरूक्षेत्र)।</u>

<u>शहद व्यापार केन्द्र (एच.टी.सी.) संचालन के नियम एवं दिशानिर्देश</u>

1. एच.टी.सी. में शहद प्रकिया का प्रवाह एवं संचालन

एच.टी.सी. में शहद के आने पर मधुमक्खी पालको को उसके शहद का वजन, सैम्पलिंग, भण्डारण, नीलामी, डिस्पैच व भुगतान करना होगा। इसका योजनाबन्द प्रकिया प्रवाह नीचे दिया गया है:–

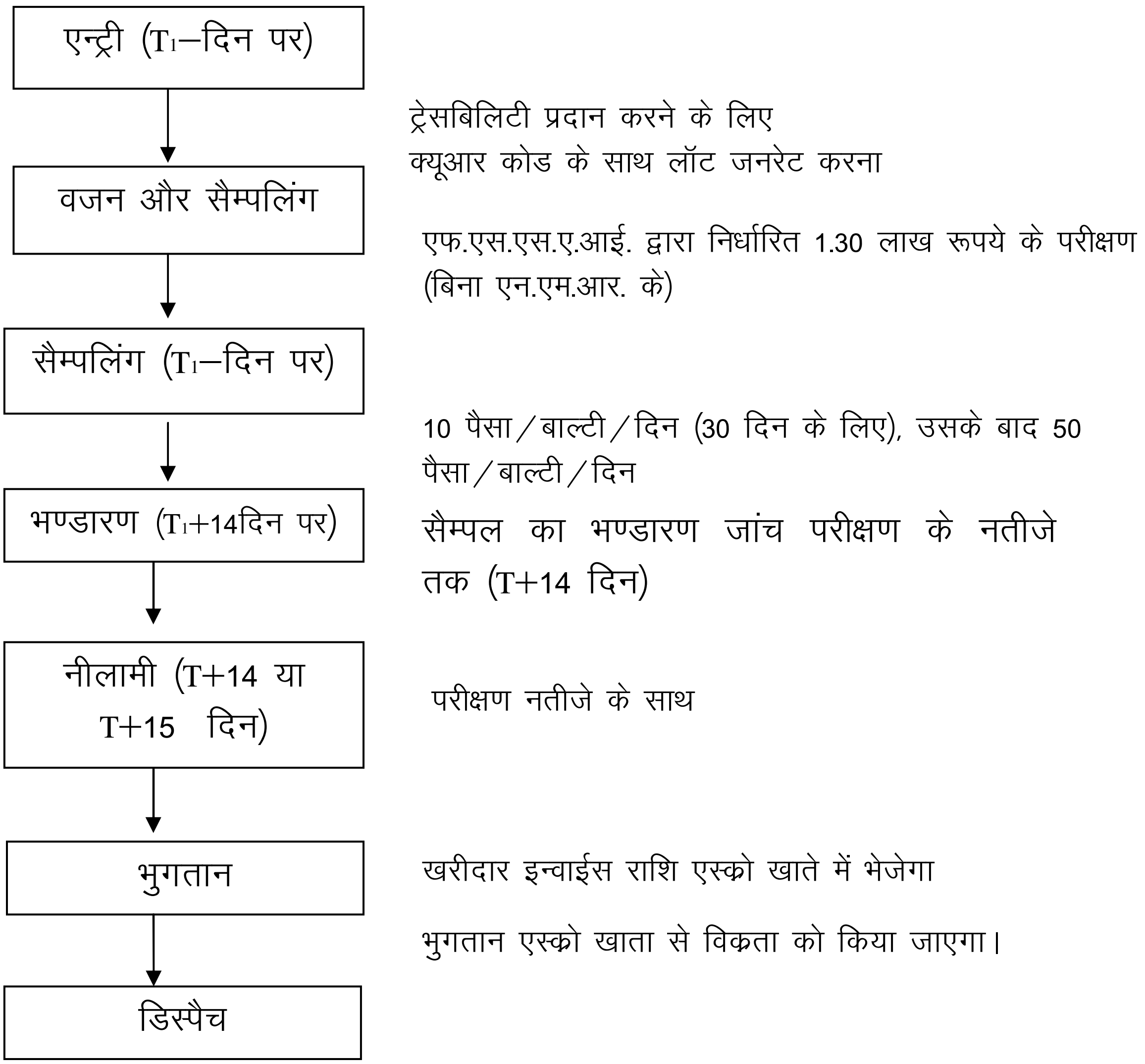

1.1 शहद का आगमन

- विक्रेता को एच.टी.सी. में कम से कम 2.5 मीट्रिक टन शहद लाना होगा।
- फुड ग्रेड बाल्टी में ही शहद लिया जायेगा।
- प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा ग्रेड सत्यापन/प्लेटफार्म परीक्षण (जैसे दृश्य जांच, सैम्पल की स्पष्टता, सुगंध, स्वाद, रंग, टैक्चर का मूल्यांकन व नमी की मात्रा) किया जायेगा।
- विक्रेताओं का पंजीकरण मधुक्रान्ति पोर्टल की एप्लीकेशन आई.डी. के आधार पर किया जायेगा। शहद की ट्रेसबिलिटी प्रदान करने के लिए क्यूआर कोड तथा शहद के लिए लॉट कोड बनाने में सक्षम होगा।
- प्रति मधुमक्खी पालक से 10 हजार रूपये का पंजीकरण शुल्क लिया जायेगा। निर्यातको का पंजीकरण पैन/आधार कार्ड के साथ 10 लाख रूपये और 5 लाख रूपये (छोटे पैकर्स के लिए) की बैंक गारंटी व स्क्योिर्टी के साथ किया जायेगा।
- खरीदारों को उनकी बैंक गांरटी की सीमा से अधिक एक बार व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी।

1.2 शहद का वजन एवं सैम्पलिंग

- पंजीकरण के बाद शहद को लाया जायेगा।
- पारदर्शिता को सुनिश्चत करने के लिए शहद का वजन और सैम्पल का संग्रह मधुमक्खी पालक और एच.टी.सी. प्रभारी के सामने किया जायेगा।
- लॉट जनरेट होने के बाद उसके वजन के साथ अपडेट किया जाएगा।
- उसके बाद लॉट से शहद का नमूना लिया जायेगा।
- शहद की जांच के लिए उसे सूचीबद्ध परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसे कि पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर (पी.बी.टी.आई.) मोहाली, काल्फ (विश्लेषणात्मक और अनुसंधान प्रयोगशाला) आनंद या इंटर टेक, गुडगांव में किसी एक प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।
- परीक्षण परिणाम 14 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाएगें।

- शहद की परीक्षण रिपोर्ट आई.बी.डी.सी., रामनगर की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी।
- एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा निर्धारित परीक्षणों के लिए लगभग 1.30 लाख रूपये प्रति लॉट का परीक्षण शुल्क खर्च होने की उम्मीद है। एन.एम.आर. (परमाणु चुंबकीय अनुनाद) परीक्षण वैकल्पिक है क्योंकि यह एफ.एस.एस.ए.आई. के तहत अनिवार्य नहीं है और इसे खरीदार द्वारा अपनी लागत और विवेक पर चुना जा सकता है।
- पहले वर्ष में सरकार द्वारा परीक्षण शुल्क पर अनुदान दिया जा सकता है। हालांकि पूरी लागत खरीददार द्वारा दूसरे वर्ष से वहन की जानी है।
- प्रथम वर्ष में, सरकार जांच शुल्क पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान कर करेगी। शेष 25 प्रतिशत खरीददार द्वारा वहन किया जाएगा। दो प्रयोगशालाओं से परीक्षण परिणामों में भिन्नता के मामले में रेफरल प्रयोगशाला का प्रावधान होगा।

1.3 भण्डारण

- एच.टी.सी. में शहद भण्डारण की क्षमता 2500 एम.टी. है, जिसका लाभ क्रेता और विक्रेता को 30 दिनों के लिए 10 पैसा/बाल्टी/दिन के लिए मिलेगा और उसके बाद 50 पैसा/बाल्टी/दिन में मिलेगा।
- हालांकि खरीदारों को भण्डारण के 30 दिनों के बाद अनिवार्य रूप से अपना शहद उठाना होगा।
- यदि शहद के नमूने किसी पैरामीटर में विफल होते हैं तो सम्बन्धित मधुमक्खी पालक को सप्ताह के भीतर संग्रहीत लॉट वापस कर दिया जाएगा और यह जिम्मेदारी मधुमक्खी पालक की ही होगी।
- यदि कोई लॉट 60 दिनों तक बिना बिके रहता है तब उसे एच.टी.सी. द्वारा बाजार दर पर निपटाया जा सकता है और विक्रेता का उस लॉट पर व्यापार का कोई अधिकार नहीं होगा।

- बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि से एच.टी.सी. शुल्कों की कटौती के बाद बकाया राशि विक्रेता को हस्तांतरित कर दी जायेगी।

1.4 नीलामी

- शहद के लॉट की नीलामी परीक्षण परिणामों के साथ ही की जाएगी।
- व्यापारी/निर्यातक शहद लॉट के लिए ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से बोली लगाएगें।
- विक्रेता के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित करने का प्रावधान होगा।
- किसी परिस्थिति में अगर विक्रेता खरीदार द्वारा दी गई कीमत से सहमत नहीं होता तब शहद लॉट की फिर से नीलामी की जा सकेगी।
- सफलतापूर्वक नीलामी किए गए लॉट का वजन किया जाएगा, शहद के उतारने व नीलामी के बीच वजन में कोई कमी आई तो यह कमी मधुमक्खी पालक द्वारा वहन की जाएगी।

1.5 भुगतान

- यदि मधुमक्खी पालक शहद लॉट की नीलामी की कीमत पर सहमत हो जाता है, तब अन्तिम चालान खरीदार द्वारा किया जायेगा।
- मधुमक्खी पालक व खरीदार के बीच भुगतान एच.टी.सी. के एस्क्रो खाते के माध्यम से किया जायेगा।
- एस्क्रो खाते में फण्ड के स्थानान्तरण उपरान्त भेजी हुई राशि का भुगतान विक्रेता के खाते में (टी+1) कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा।

1.6 डिस्पैच

- एच.टी.सी. के एस्क्रो खाते में खरीदार द्वारा भुगतान के स्थानांतरण के बाद ही शहद का लॉट खरीदार को दिया जाएगा।

2. एच.टी.सी. संचालन कैलेण्डर

- गुणवत्ता जांच परीक्षण में समय लगने के कारण आंरभिक वर्ष में शहद के लॉट के आमगन और नीलामी के बीच कम से कम 14 दिनों का समय दिया गया है।

- यह उलेखित किया जाता है कि शहद के आने व लॉट अलॉट का कार्य महीने के पहले 10 दिनों के दौरान किया जाएगा (हर माह की 1 से 10 तारिख तक)।
- आने वाले लॉट के सैम्पलिंग और परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए महीने के 11– 24 वें दिन के बीच का समय लिया जाएगा।
- 25 वां दिन केवल नीलामी के लिए होगा और 26 से 30वां दिन नीलाम किए गए लॉट के डिस्पैच और भुगतान निपटारे के लिए होगा।
- इस प्रकार से प्रत्येक दिन कुछ लॉट की नीलामी ओर सैम्पलिंग करने की बजाये, यह अधिक मात्रा में शहद की नीलामी सुनिश्चित करेगा और अधिक खरीदारों को आकर्षित करेगा।

3. हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

एच.टी.सी. के माध्यम से लेन–देन में प्रमुख हितधारक होगें:–

(i) सर्वोच्च समिति

(ii) सरकारी एजैन्सी (एच.एस.एच.डी.ए.)

(iii) विशेष उद्देश्य वाहन (एस.पी.वी.)

(iv) एच.टी.सी.

(v) विक्रेता

(vi) खरीदार

(vii) थर्ड पार्टी गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला

4. एच.टी.सी.–संचालन एजैन्सी द्वारा लगाए गए शुल्क

(i) खरीदार से कुल नीलामी राशि का 2 प्रतिशत सेवा शुल्क लिया जाएगा।

(ii) इसके अलावा विक्रेता को शहद के भण्डारण के लिए शुरूवाती 30 दिनों के लिए 10 पैसा/बाल्टी/दिन शुल्क का भुगतान करना होगा और उसके बाद 50 पैसा/बाल्टी/दिन शुल्क का भुगतान करना होगा। प्रबंधन शुल्क 5 रूपये/बाल्टी, व 5 रूपये/बाल्टी का अनलोडिंग शुल्क अदा करना होगा। गुणवत्ता जांच शुल्क 1 रूपये/बाल्टी होगा। ये शुल्क व्यापार की मात्रा व कमेटी के निर्णय के आधार पर संशोधित किए जा सकते हैं।

(iii) सफल नीलामी के केस में 5 रूपये/बाल्टी का लोडिंग शुल्क खरीदार द्वारा वहन किया जाएगा यदि शहद की बिक्री नहीं होती तब लोडिंग शुल्क विक्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

5. शिकायत निवारण

- एस.पी.वी. द्वारा नामांकन के आधार पर एस.पी.वी. और एच.एस.एच.डी.ए. के चुनिंदा सदस्यों के साथ हाउस कमेटी का प्रावधान किया गया है ताकि पार्टियों के बीच शिकायतों और विवादों को दूर किया जा सके।
- इस स्तर पर यदि मध्यस्थता विफल हो जाती है तब शिकायत के लिए सचिव कृषि की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति को रैफर किया जाएगा।
- इसके बाद विवाद का फैंसला मध्यस्थता के आधार पर किया जाएगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के हिसाब से मध्यस्थता समय–2 पर संशोधन के अधीन होगी।

6. एच.टी.सी. के माध्यम से एस्क्रो खाते से भुगतान का निपटारा

- एच.टी.सी. में एस्क्रो खाते के माध्यम से भुगतान किया जाएगा ताकि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच भुगतान समझौता सुनिश्चित किया जा सके और विवादों से बचा जाये।
- डिस्पैच से पहले खरीदारों को चालान की राशि एच.टी.सी. एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करनी होगी। फिर राशि एक दिन के भीतर एस्क्रो खाते से विक्रेता के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

7. हितधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व

7.1 शहद व्यापार केन्द्र/संचालन एजैन्सी:

- एच.टी.सी. खरीदारों और विक्रेताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा और भण्डारण, नीलामी का मंच देना आदि जैसी सुविधा प्रदान करेगा।
- खरीदारों से सेटलमैन्ट गारंटी कॉपर्स (विवाद के लिए प्रावधान) के लिए 0.1 प्रतिशत शुल्क सहित सेवा शुल्क 2 प्रतिशत लेगा।

- प्रवेश के समय एच.टी.सी. ग्रेड सत्यापन, वजन, लॉट बनाना, सैम्पल इकट्ठा करना और सूचीबद्ध परीक्षण प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता परीक्षण करवाने का कार्य करेगा।
- जो शहद नहीं बिकेगा उसके निपटारे की सुविधा भी एच.टी.सी. प्रदान करेगा और एस्क्रो खाते के माध्यम से भुगतान की सैटलमैन्ट भी सुनिश्चित करेगा।

7.2 मधुमक्खी पालक / विक्रेताः

- विक्रेता एच.टी.सी. में न्यूनतम 2.5 टन शहद को फुड ग्रेडिड बाल्टी में लाएगा।
- विक्रेता का पंजीकरण मधुक्रान्ति पोर्टल आई.डी. के आधार पर होगा।
- पंजीकरण शुल्क 10 हजार रूपये देगा।
- प्रारंभिक 30 दिनों के लिए 10 पैसा / बाल्टी / दिन भण्डार शुल्क और बिक्री नहीं होने की स्थिति में 50 पैसा / बाल्टी / दिन देगा।
- यदि 60 दिनों में बिक्री नहीं होती तब एच.टी.सी. द्वारा शहद का निपटान किया जाएगा।
- विक्रेताओं पर 5 रूपये प्रति बाल्टी लोडिंग शुल्क लागू होगा।
- विक्रेता प्रबंधन शुल्क 5 रूपये / बाल्टी तथा 1 रूपया / बाल्टी का गुणवत्ता जांच शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- विक्रेता नीलामी में न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित कर सकता है।
- कॉर्न सिरप मिलावट के कारण डिफॉल्ट होने की स्थिति में 10 हजार रूपये का पंजीकरण शुल्क जुर्माना के रूप में लगाया जाएगा। पुनः पंजीकरण लागु होगा। हालांकि पुनः चूक होने पर विक्रेता को एक वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।

7.3 खरीदारः

- खरीदार (ं) शहद लॉट नीलामी के लिए बोली लगाएगें।
- खरीदार का पंजीकरण पैन कार्ड, आधार कार्ड और 10 लाख रूपये (निर्यातकों) की बैंक गारंटी या 5 लाख रूपये (पैकर्स) की बैंक गारन्टी जमा करने पर होगा।

- खरीदारों के लिए भण्डारण की सुविधा 10 पैसा/बाल्टी/दिन के शुल्क पर 30 दिनों के लिए होगी, लेकिन 30 दिनों के बाद लॉट का उठान करना अनिवार्य होगा।
- नीलामी के सफल होने पर खरीदारों को लोडिंग शुल्क 5 रूपये/बाल्टी देना होगा।
- खरीदारों को एच.टी.सी. द्वारा लगाया गया 2 प्रतिशत सेवा शुल्क देना होगा।
- प्रांरभिक वर्ष में गुणवत्ता जांच की कुल लागत का 25 प्रतिशत राशि खरीदारों द्वारा दिया जाएगा और दूसरे वर्ष से यह 100 प्रतिशत होगा।

7.4 आई.बी.डी.सी./गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाः

- गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला द्वारा एफ.एस.एस.ए.आई. के मापदण्डो अनुसार शहद के सैम्पल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।
- शहद जांच रिपोर्ट खरीदार, विक्रेता के साथ साझा की जाएगी और आई.बी.डी.सी. वैबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी।
- शहद की जांच के लिए उसे सूचीबद्ध परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसे कि पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर (पी.बी.टी.आई.) मोहाली, सी.ए.एल.एफ. (काल्फ) (विश्लेषणात्मक और अनुसंधान प्रयोगशाला) आनंद या इंटर टेक, गुडगांव में भेजे जाएगें।
- कुछ समय बाद शहद की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए आई.बी.डी.सी. की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का लाभ उठाया जा सकता है।
- दो प्रयोगशालाओं के परीक्षण परिणामों में भिन्नता होने की स्थिति में रेफरल प्रयोगशाला का प्रावधान होगा, जिसका परीक्षण परिणाम सभी को मान्य होगा।

नोटः— मधुमक्खी पालक व व्यापारी को उपरोक्त नियम एवं दिशा—निर्देश पालन हेतु 100 रू0 के स्टाम्प पर अंडरटेकिंग देनी होगी।